न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0 आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0———————————— 120/2019
प्रविष्टि दिनांक ———————————— 25.09.2019

उनवान

सत्यनारायण पुत्र केसरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम सीरामपुरा, तहसील व जिला टोंक

–आवेदक

बनाम

तहसीलदार टोंक

–प्रतिपक्षी

उपस्थित– श्री योगेश व्यास – अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा–पेरोकार सरकार

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक–05.02..2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख0नं0 250 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीतारामपुरा पटवार हलका मण्डावर तहसील व जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी आवेदक की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। आवेदक अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को काश्त करता आ रहा है। आवेदक की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी के मौके पर सीमओं के चिन्ह मिट चुके है, जिससे आये दिन पडोसी काश्तकारों से आवेदक व उनके परिवार जनों से झगडा फसाद होता है तथा पडोसी काश्कारान आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि में जबरन घुसने व जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। इस कारण आवेदक की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थर गढी करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जी टोंक से आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीतारामपुरा पटवार हलका मण्डावर तहसील व जिला टोंक का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये। अन्य जो आवेदक के हित में प्रकरण की परिस्थितियों में उचित, आवश्यक एवं लाभप्रद हो प्रदान की जाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार टोंक से जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि आवेदक/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवा लिया है तो पत्थरगढी किये जाने में प्रतिपक्षी को कोई आपत्ति नही है। आवेदक/प्रार्थी को पत्थरगढी से पूर्व नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम सीतारामपुरा व नक्शा ट्रेस पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी का जवाब भी प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से सीमाज्ञान एंव पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि ख.न. 250 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीतारामपुरा पटवार हलका मण्डावर तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक **05.02.2021** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक